संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र 9/नर्सिंग/सेल–1/2011/01 भोपाल दिनांक 1/1/2011

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   मध्यप्रदेश।

विषय :– परिभ्रमण में रखी गई स्टाफ नर्सेस की दिनांक 29.12.2010 को जारी फर्जी पदोन्नति आदेश बावत्।

कार्यालय जिला चिकित्सालय बैतूल द्वारा पत्र क्रमांक/स्थापना/2010/5 दिनांक 1.1.2011 से अवगत कराया गया कि संचालनालय के आदेश क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2010/1896 दिनांक 29.12.2010 द्वारा परिभ्रमण पदोन्नति के आदेश दिये गये हैं। इस प्रकार का कोई परिभ्रमण पदोन्नति आदेश संचालनालय से जारी नहीं किया गया है। अतः दिनांक 29.12.2010 का जारी आदेश फर्जी है।

उक्त आदेश के पालन में किसी भी कर्मचारी को उपस्थित न करवाया जाये। दिनांक 29.12.2010 आदेश के तहत उपस्थित होने का प्रयास करने वाले कर्मचारी को भी संदिग्द्ध मानते हुए उनके विरूद्ध पुलिस थाने में एफ.आर.आर. दर्ज करायें।

यदि उक्त आदेश क्र. 1896 दिनांक 29.12.2010 के तहत किसी भी कर्मचारी को उपस्थित करवाया गया हो, तो भी उसे निरस्त करते हुए उस कर्मचारी के विरूद्ध पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाये।

आपके कार्यालय में आदेश प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस थाने में शिकायत (एफ.आई. आर.) दर्ज कराई जाना सुनिशिचित करें।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कोई भी आदेश विभाग की बेबसाईट पर जारी होने के उपरांत ही मान्य किया जाना सुनिशिचित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

संयुक्त संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्र 9/नर्सिंग/सेल–1/2011/ 2 भोपाल दिनांक 1 /1/2011

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, संचालक चिकित्सा सेवाऐं मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश